अरस्तू के परिवार और सम्पत्ति सम्बन्धी विचार
(ARISTOTLE'S VIEWS ON FAMILY AND PROPERTY)

अरस्तू के अनुसार परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम इकाई है। जब स्त्री-पुरुष संतान उत्पन्न करने के लक्ष्य से विवाह बन्धन में बँधते हैं तो परिवार की रचना होती है। यह एक प्राकृतिक संस्था है जो मनुष्य जाति की निरन्तरता को बनाये रखने के उद्देश्य से संगठित होती है लेकिन इसी उद्देश्य से उसे पूर्णता प्राप्त नहीं होती है। इसके साथ ही परिवार की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी आवश्यक है। इस आवश्यकता की पूर्ति करते हैं दास जो परिवार के अभिन्न अंग होते हैं। इस तरह परिवार एक ऐसे सम्बन्धों का प्रतीक है जिसमें एक तरफ स्त्री-पुरुष के मध्य वैवाहिक सम्बन्ध तथा दूसरी तरफ स्वामी-दास सम्बन्ध तथा तीसरी तरफ माता-पिता और संतानों के मध्य मातृक और पैतृक सम्बन्ध प्रमुख होते हैं। इन त्रिकोणात्मक सम्बन्धों का समुच्चय ही परिवार का दूसरा नाम है। अरस्तू इस आधार पर परिवार की परिभाषा करते हुए कहता है, "स्त्री-पुरुष एवं स्वामी-दास के मध्य सम्बन्धों के योग से जो संगठन बनता है, वही परिवार है।"[2]

वैयक्तिक परिवार व्यक्ति के विकास के लिए एक अनिवार्य संस्था—प्लेटो के पलियों के साम्यवाद के माध्यम से निर्मित सामूहिक परिवार के विचार का खंडन करते हुए अरस्तू वैयक्तिक परिवार को व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए एक अनिवार्य संस्था मानता है। उसकी यह दृढ़ मान्यता है कि "आत्माभिव्यक्ति, आत्मरक्षा और यौन भावनाओं की संतुष्टि के लिए परिवार व्यक्ति के लिए एक आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य संगठन है। अतः प्लेटो की तरह वैयक्तिक परिवार मनुष्य के विकास में एक बाधक नहीं, साधक संगठन है। फॉस्टर अरस्तू के इस विचार को अभिव्यक्त करते हुए कहता है, "वह मानव विकास के मार्ग में बाधक नहीं वरन् सहायक है। वह एक घोंसले के सदृश्य है, पिंजरे के सदृश्य नहीं।"[3] मनुष्य का समाजीकरण परिवार के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं सम्भव नहीं। वही उसके विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाला प्रथम संगठन है जहाँ वह सर्वप्रथम नागरिकता का प्रशिक्षण प्राप्त करता है।

परिवार का स्वरूप : पितृसत्तात्मक—अरस्तू परिवार के पितृसत्तात्मक परिवार का समर्थक है। उसके अनुसार पुरुष स्त्री से अधिक सद्गुणी और समर्थ होता है। अतः उस पर पुरुष का नियन्त्रण स्वाभाविक है। इसी तरह दास भी विवेकशून्य और बुद्धिहीन होते हैं अतः उन पर भी स्वामी का नियन्त्रण आवश्यक है। संतान अपरिपक्व और अनुभवहीन होती है अतः उस पर भी पिता का नियन्त्रण अनिवार्य है। इन सभी विभिन्न दृष्टियों से परिवार पर पुरुष का नियन्त्रण उसके सदस्यों के हित में है क्योंकि वह नैतिक गुणों और अनुभवों की दृष्टि से उन सब में सर्वोपरि होता है। अतः उसे ही परिवार पर नियन्त्रण या शासन करने का स्वाभाविक अधिकार प्राप्त है।

स्त्री-पुरुष सम्बन्ध—परिवार में पुरुष की प्रधानता का समर्थन करते हुए भी वह स्त्री को पूर्ण रूप से पुरुष के अधीन नहीं मानता है। उसकी स्थिति दास से भिन्न है। पुरुष के अधीन होते हुए भी स्त्री उसकी मित्र है तथा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। स्त्री का पुरुष से एक स्वतंत्र अस्तित्व है लेकिन उसके और पुरुष के मध्य समानता का सम्बन्ध नहीं है। अरस्तू कहता है कि पुरुष की तुलना में स्त्री बौद्धिक दृष्टि से दुर्बल और सद्गुणों की दृष्टि से हीन होती है। वह पुरुष की अपेक्षा आत्म-निर्भर भी कम होती है। पुरुष उससे हर दृष्टि से उच्च होता है। अतः

---

1 "The acceptance of slavery shows how even a wise and great philosopher is captive of the institutions of his time and of the prejudice that rationalize them."
—Ebenstein : *Introduction to Philosophy,* p. 32.

2 Aristotle : *Politics,* Book I, Ch. II, p. 5.

3 "Therefore, it does not thawart human growth but fostersit; it is a nest, not like a cage."
—Foster : *Masters of Political, Thought,* Vol. I, p. 128.

करने में समर्थ होता है। सम्पत्ति से ही वह अपनी क्षुधा शांत करने के लिए अन्न, तन ढँकने के लिए वस्त्र और सिर ढँकने के लिए छत की व्यवस्था कर पाता है। इस प्रकार अरस्तू सम्पत्ति को एक प्राकृतिक वस्तु मानता है जिसकी आवश्यकता मनुष्य के लिए जन्म से मरण तक बनी रहती है।

वैयक्तिक सम्पत्ति का समर्थन अरस्तू विभिन्न दृष्टिकोणों से करता है। इस दृष्टि से वह कहता है कि वैयक्तिक सम्पत्ति का आकर्षण उसे अर्जित करने के लिए व्यक्ति को कठिन श्रम करने के लिए प्रेरित करेगा। फलतः व्यक्ति स्वयं की ही नहीं, समाज की समृद्धि में भी सहायक होगा। वह वैयक्तिक आधार पर सम्पत्ति के कारण स्वयं को सुरक्षित ही अनुभव नहीं करेगा वरन् एक सद्गुणी जीवन व्यतीत करने में भी स्वयं को समर्थ अनुभव करेगा। सम्पत्ति-प्रेम मनुष्य को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से संतुष्टि प्रदान करेगा तथा एक नागरिक के रूप में राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वाह के लिए उसे प्रेरित करेगा। वे राज्य कार्य में रुचि लेंगे तथा उसे हर तरह से सुरक्षित और समृद्ध बनाने का प्रयत्न करेंगे। अरस्तू वैयक्तिक सम्पत्ति के समर्थन में ये विभिन्न तर्क देकर यह सिद्ध करता है कि वह व्यक्ति और राज्य दोनों के विकास के लिए एक अनिवार्यता है।

लेकिन अरस्तू वैयक्तिक सम्पत्ति का समर्थन करके भी उसे एक साधन ही मानता है, एक साध्य नहीं और उसके असीमित संग्रह को वर्जित घोषित करता है। वह इस आधार पर यह प्रतिपादित करता है कि वैयक्तिक सम्पत्ति आवश्यक होते हुए भी एक परिवार के पास उतनी ही सम्पत्ति होनी चाहिए, जितनी कि उसके समुचित जीवन यापन के लिए आवश्यक है। अतः उतना ही उसका संग्रह किया जाना चाहिए। अरस्तू के इस मंतव्य की ओर संकेत करते हुए **फॉस्टर** का कथन है कि "अपना कार्य करने के लिए हथौड़ा भारी होना चाहिए लेकिन हथौड़ा निर्मित करने वाला उसे भारी से भारी तो नहीं बनाना चाहेगा। जिस कार्य के लिए हथौड़े में वजन की आवश्यकता है, वही कार्य उसके वजन को भी सीमित करता है। एक अच्छा लुहार इस सीमा का पालन करेगा।"[1] यही स्थिति सम्पत्ति की है। उसका संग्रह भी उतना ही किया जाना चाहिए जितना कि एक श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। यदि इससे अधिक सम्पत्ति का संग्रह किया गया तो उसका अनिवार्य परिणाम सामाजिक पतन के रूप में प्रगट होगा।

सम्पत्ति के प्रकार—अरस्तू सम्पूर्ण सम्पत्ति को दो भागों में विभाजित कर देता है—एक, **निर्जीव सम्पत्ति**—इसके अन्तर्गत मकान, खेत आदि आते हैं तथा दूसरी, **सजीव सम्पत्ति**—इसके अन्तर्गत दास-दासी आदि आते हैं।

सम्पत्ति अर्जन का उचित तरीका—इस दृष्टि से अरस्तू सम्पत्ति अर्जन के दो तरीके या उपाय प्रस्तुत करता है—पहला, प्राकृतिक उपाय और दूसरा, अप्राकृतिक उपाय।

प्राकृतिक उपाय—इस उपाय के अनुसार मनुष्य प्रकृति की सहायता लेकर अपने श्रम द्वारा सम्पत्ति अर्जित करता है। कृषि और पशु-पालन द्वारा अर्जित सम्पत्ति इसी श्रेणी में आती है।

अप्राकृतिक उपाय—जैसाकि इसके नामकरण से ही ज्ञात होता है, इस तरीके से सम्पत्ति अर्जित करने के लिए मनुष्य द्वारा प्रकृति से कोई सहायता नहीं ली जाती। यह उपाय धन से धन कमाने का उपाय है जोकि मनुष्य के शोषण पर आधारित है। उदाहरण के लिए, ऋण के माध्यम से ब्याज कमाना या व्यापार करके धन अर्जित करना। अरस्तू के अनुसार यह पूर्णतः अप्राकृतिक और घृणित उपाय है। यह मनुष्य चरित्र में सद्गुण के स्थान पर दुर्गण उत्पन्न करता है। यह उसकी मानसिक विकृति का परिणाम है जो दूसरे मनुष्य की विवशता, दरिद्रता आदि का लाभ उठाकर एक मनुष्य को धन उपार्जित करने के लिए प्रेरित करता है। अरस्तू इस उपाय की कड़ी भर्त्सना करते हुए करता है, "धन कमाने के उपायों में ब्याज के माध्यम से धन कमाना सबसे निकृष्ट उपाय है क्योंकि इसके माध्यम से गरीबी और बेवशी का लाभ उठाकर धन से अधिक धन पैदा किया जाता है।"[2] अतः अरस्तू के अनुसार यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है और इसलिए त्याज्य है।

सम्पत्ति का स्वामित्व—सम्पत्ति के स्वामित्व के सम्बन्ध में अरस्तू तीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है। ये तीन सिद्धान्त हैं :

पहला, सम्पत्ति का सार्वजनिक स्वामित्व और सार्वजनिक उपभोग।

दूसरा, सम्पत्ति का सार्वजनिक स्वामित्व और वैयक्तिक उपभोग।

तीसरा, सम्पत्ति का वैयक्तिक स्वामित्व और सार्वजनिक उपभोग।

1 Foster : *op. cit.*, p. 413.
2 भोलानाथ शर्मा : **अरस्तू की राजनीति**, पृ. 115।

2020/11/10 10

यह स्वाभाविक है कि वह पुरुष के शासन में रहे लेकिन पुरुष को उसे दास नहीं समझना चाहिए वरन् उसके साथ एक स्वतंत्र साझेदार की तरह से व्यवहार करना चाहिए तथा उसके कार्य-क्षेत्र में अवांछित हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

विवाह और राज्य—अरस्तू आदर्श राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विवाह पर राजकीय नियन्त्रण का समर्थन करता है। विवाह के लिए वह स्त्री के लिए 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 37 वर्ष की आयु निर्धारित करता है। संतान उत्पन्न करने के पूर्व वह उनके लिए चिकित्सकों एवं ज्योतिषियों का परामर्श आवश्यक मानता है। अनुकूल स्वास्थ्य तथा अनुकूल भौगोलिक वातावरण होने पर ही वह उन्हें संतान उत्पन्न करने का परामर्श देता है। पुरुष को 70 वर्ष और स्त्री को 50 वर्ष की आयु के पश्चात् संतान उत्पन्न करने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। राज्य में जनसंख्या का संतुलन बना रहे अतः वह परिवार नियोजन को अपनाने का परामर्श देता है। आवश्यकता से अधिक संतान के उत्पन्न होने की सम्भावना होने पर वह गर्भपात का आश्रय लेने के लिए भी कहता है। विकलांग सन्तान का पालन-पोषण उसके अनुसार प्रतिबन्धित होना चाहिए, नहीं तो आदर्श राज्य की स्थापना का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा।

आलोचना—यद्यपि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में परिवार की जो अहम् भूमिका है, उसे स्वीकार करने में मत-भिन्नता नहीं हो सकती लेकिन फिर भी अरस्तू के परिवार सम्बन्धी विचारों को और मुख्य रूप से स्त्री-पुरुष सम्बन्धी विचारों को निर्विवाद रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता।

स्त्री-पुरुष के मध्य लैंगिक असमानता का जिस तरह से अरस्तू द्वारा समर्थन किया गया है और स्त्री की तुलना में पुरुष को इस आधार पर श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है और स्त्री पर पुरुष के नियन्त्रण का समर्थन किया गया है, वह स्वीकार करने योग्य नहीं है। स्त्री-पुरुष समानता का विचार आज एक सर्वमान्य विचार है। लैंगिक भेद होते हुए भी आज स्त्री को पुरुष की तुलना में न बौद्धिक और नैतिक दृष्टि से हीन या दुर्बल समझा जाता है। आज की स्त्री वह सभी कार्य करने में सक्षम समझी जाती है जो अब तक पुरुष के द्वारा ही किये जाने सम्भव माने जाते थे। आधुनिक दृष्टि से ही नहीं, पुरातन दृष्टि से भी देखें तो हमें शिष्य अरस्तू से गुरु प्लेटो अधिक उदार और प्रगतिशील दिखाई देता है। प्लेटो का आदर्श राज्य पूर्ण स्त्री-पुरुष समानता पर आधारित है। उसमें स्त्रियाँ वे सब कार्य कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं। अतः इस दृष्टि से अरस्तू एक अनुदार, जबकि प्लेटो एक प्रगतिशील चिन्तक के रूप में हमारे सामने आता है।

फिर परिवार के सम्बन्ध में अरस्तू के विचार पूर्ण मौलिक भी नहीं हैं। विशेष रूप से विवाह और संतान उत्पत्ति की दृष्टि से अरस्तू ने जो विचार प्रकट किये हैं, उन्हें उसके पूर्व ही प्लेटो अपने अन्तिम ग्रंथ 'लॉज' में प्रतिपादित कर चुका था। अरस्तू ने वहीं से उन्हें कुछ परिवर्तनों के साथ अपना लिया है।

मूल्यांकन—वैयक्तिक परिवार एक व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक महत्व रखता है। वह शिक्षा की उसके लिए प्रथम पाठशाला के रूप में होता है। उसमें रहकर ही वह जो भी गुण-अवगुण प्राप्त करता है, वे जीवन पर्यन्त उसके साथ रहते हैं। अरस्तू ने परिवार के इस महत्व को सिद्ध किया है और उसकी आवश्यकता को रेखांकित किया है। यह उसका एक बहुत बड़ा योगदान है लेकिन जहाँ वह स्त्री-पुरुष सम्बन्धों की व्याख्या करता है और पुरुष को स्त्री से उच्च घोषित करता है, वहाँ वह यथार्थवादी के स्थान पर स्वयं को एक रूढ़िवादी सिद्ध करता है। इस दृष्टि से उसके विचार स्वीकार योग्य नहीं हैं। लैंगिक असमानता होते हुए भी स्त्री-पुरुष समानता एक सर्वमान्य सिद्धान्त है। स्त्री का अपना एक पुरुष से पृथक् स्वतंत्र व्यक्तित्व है और इस आधार पर वह पुरुष के समान ही हर कार्य करने में सक्षम है जो पुरुष कर सकते हैं। अरस्तू इस सत्य को नहीं देख सका, जबकि उसके गुरु प्लेटो ने उसके पूर्व ही इसे देख और समझ लिया था तथा इसका अपने आदर्श राज्य के माध्यम से प्रतिपादन कर दिया था।

अरस्तू के सम्पत्ति सम्बन्धी विचार
(ARISTOTLE'S VIEWS ON PROPERTY)

अरस्तू प्लेटो के सामूहिक सम्पत्ति के सिद्धान्त के विरुद्ध वैयक्तिक सम्पत्ति को व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए एक आवश्यक तत्व मानता है और उसका हर दृष्टि से समर्थन करता है। सम्पत्ति की परिभाषा करते हुए वह कहता है कि "सम्पत्ति उन साधनों के समूह का नाम है जिनका उपयोग परिवार तथा राज्य में होता है।"[1] अतः राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यह आवश्यक है। सम्पत्ति के होने पर ही एक व्यक्ति अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए एक सभ्य और सुसंस्कृत जीवन व्यतीत

1 Aristotle : *Politics*, Book I, Chap. VIII, p. 15.

अरस्तू इनमें से प्रथम दो सिद्धान्तों की तुलना में तीसरे सिद्धान्त का समर्थन करता है और कहता है कि "सम्पत्ति के स्वामित्व का यह सबसे अच्छा सिद्धान्त है। सम्पत्ति वैयक्तिक हो लेकिन उसका उपभोग सार्वजनिक हो।"[1] इस तरह अरस्तू सम्पत्ति के स्वामित्व की यह व्यवस्था करके साम्यवाद और व्यक्तिवाद के मध्य का मार्ग ग्रहण करता है और दोनों विचारधाराओं की बुराइयों से बचते हुए उनके लाभ उठाना चाहता है। अतः उसकी मान्यता है कि यदि सम्पत्ति का इस तरह प्रयोग किया गया तो एक तरफ इससे व्यक्ति में नैतिक गुणों का विकास होगा और दूसरी तरफ सामाजिक व्यवस्था भी श्रेष्ठ और आदर्श बनेगी।

सम्पत्ति का समानीकरण—अरस्तू व्यक्ति और राज्य दोनों के आदर्श विकास को ध्यान में रखकर सम्पत्ति के समानीकरण के सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है और कहता है कि इस दृष्टि से हमें मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इस दृष्टि से एक व्यक्ति के पास आवश्यकता से कम और अधिक सम्पत्ति नहीं होनी चाहिए, ताकि व्यक्ति दरिद्रता और विलासिता से मुक्त होकर एक संयमित और सद्गुणी जीवन व्यतीत करने में समर्थ हो सके। यही सिद्धान्त वह राज्य पर भी लागू करता है और कहता है कि राज्य की सम्पत्ति भी उतनी ही होनी चाहिए जिससे वह अपने नागरिकों को एक श्रेष्ठ एवं सद्गुणी जीवन व्यतीत करने के साधन और अवसर प्रदान कर सके तथा उनकी वाह्य आक्रमणों से रक्षा कर सके। राज्य न अधिक धनी और न निर्धन होना चाहिए जिससे कि न तो उसके नागरिक वंचित जीवन जीने के लिए अभिशप्त हों और न उसकी समृद्धि से प्रेरित होकर अन्य राज्य उस पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित हों। इस दृष्टि से वह आगे कहता है कि सम्पत्ति की दृष्टि से अपनी ऐसी मध्यम श्रेणी बनाये रखने के लिए राज्य को अपनी जनसंख्या पर पूर्ण नियन्त्रण रखना चाहिए तथा उसे आवश्यकता से न तो अधिक न कम होने देना चाहिए। बिना जनसंख्या नियन्त्रण के आर्थिक समानीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करना कठिन ही नहीं, असम्भव है।

आलोचना—अरस्तू के सम्पत्ति सम्बन्धी विचारों की विभिन्न दृष्टिकोणों से आलोचना की गयी है जो इस प्रकार है :

(1) **अरस्तू का सम्पत्ति का स्वामित्व और उपभोग का सिद्धान्त व्यावहारिक नहीं है**—आलोचकों का कहना है कि अरस्तू का सम्पत्ति का वैयक्तिक स्वामित्व और सार्वजनिक उपभोग का सिद्धान्त मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि जिस सम्पत्ति का उसने अपना खून-पसीना बहाकर अर्जन किया है, उसका उपभोग वह नहीं, सम्पूर्ण समाज करे। व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का कुछ अंश दान-धर्म के लिए निकाल सकता है लेकिन सम्पूर्ण सम्पत्ति को इस हेतु प्रयोग करने के लिए स्वेच्छा से समर्पित नहीं कर सकता। अपवादों को छोड़कर प्रत्येक मनुष्य स्वयं द्वारा अर्जित सम्पत्ति का स्वयं उपभोग करने की लालसा ही नहीं रखता, उसे अपना अधिकार भी समझता है। मनुष्य सम्पत्ति की दृष्टि से सामान्यतः एक सीमा तक ही परोपकारी हो सकता है।

(2) **वैयक्तिक स्वामित्व व्यक्ति में स्वार्थ भावना जाग्रत करेगा**—आलोचकों का दूसरा तर्क अरस्तू के सम्पत्ति के सिद्धान्त के विरुद्ध यह है कि सम्पत्ति पर वैयक्तिक स्वामित्व मनुष्य में स्वार्थ भावना को पैदा करेगा। अतः इस सिद्धान्त का अनुसरण करके वह स्वेच्छा से सद्गुणी और परोपकारी होने के स्थान पर अपनी सम्पत्ति को लेकर स्वार्थी बन जायेगा और उसका उपभोग स्वयं के स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही अधिक करेगा।

(3) **व्यक्ति में आलस्य भाव जाग्रत होगा**—जब व्यक्ति को ज्ञात होगा कि परिश्रम करके वह जिस सम्पत्ति का अर्जन कर रहा है, उसका उपभोग करने का अधिकार सभी को प्राप्त होगा तो फिर वह सम्पत्ति अर्जन हेतु वैसा कठोर परिश्रम नहीं करेगा जैसाकि उसके वैयक्तिक उपभोग की लालसा से करेगा। फलतः सम्पत्ति अर्जन करने की दृष्टि से वह परिश्रम करने से जी चुरायेगा और आलसी हो जायेगा।

(4) **अरस्तू पूँजी-निर्माण में ब्याज के महत्व को समझने में असफल रहा**—आधुनिक समय में ही नहीं, प्राचीन समय में भी पूँजी पर ब्याज कमाने और इस तरह उसकी वृद्धि करने में ब्याज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अधिकतर वाणिज्य-व्यवसाय का आधार इस तरह से कमायी हुई पूँजी रही है। आज भी यह प्रथा जारी है। साहूकारी ब्याज आज भी पूँजी-निर्माण का एक उचित साधन माना जाता है तथा वाणिज्य-व्यवसाय के विकास में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अंधा ब्याज कमाना एक पाप है लेकिन साहूकारी ब्याज कमाना नहीं। अरस्तू

1 Barker : *Politics*, p. 49.

इस तथ्य को भी नहीं समझ सका और हर तरह के ब्याज के कमाने को एक निकृष्ट कार्य घोषित कर बैठा। यह उसकी एक भारी भूल थी।

मूल्यांकन—अरस्तू ने अपने सम्पत्ति सम्बन्धी विचारों का प्रतिपादन मनुष्य जीवन के नैतिक उत्थान तथा उसके माध्यम से आदर्श राज्य की कल्पना को साकार करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया है। इसलिए उसने सम्पत्ति के सम्बन्ध में मध्यम मार्ग का प्रतिपादन कर यह प्रस्थापना की कि मनुष्य के पास नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ जीवनयापन की दृष्टि से जितनी सम्पत्ति की आवश्यकता है, उतनी ही सम्पत्ति होनी चाहिए। न उससे कम, न उससे ज्यादा। उसके अनुसार श्रेष्ठ जीवन की दृष्टि से दोनों ही स्थितियाँ खराब हैं। अतः उसने एक तरफ प्लेटो के सम्पत्ति के साम्यवाद का विरोध किया तो दूसरी तरफ वाणिज्य-व्यवसाय तथा ब्याजखोरी के माध्यम से अकूत सम्पत्ति जमा करने की भी खिलाफत की। उसने इन दोनों के मध्य का मार्ग ग्रहण करते हुए दोनों व्यक्तिवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं के गुणों का लाभ उठाने का प्रयत्न किया और सम्पत्ति को श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के एक साधन के रूप में प्रतिष्ठित किया।[1]